

पत्र संख्या : रब/4701 यो०ज०सं० -16/2012 249

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, रॉची/हजारीबाग/याँत्रिक;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 23-3-13

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-68-भवनों का संधारण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुरक्षाकरण, विपत्र कोड 49P470180796680543 के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु०में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/68-भवनों का संधारण	05-निर्माण, 43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुरक्षाकरण, 49P470180796680543	8.19

आवंटित राशि - ₹ आठ लाख उन्नीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध रु. 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने पेरिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राश्य ही इस आदेश का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अधिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8/11

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

69

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

मुकु

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

मा

(बी. सी. निर्माण)
विशेष सचिव
ला।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य भद्र में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा रामय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

८१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २५७ रॉची, दिनांक :- २३-३-१३
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्दू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/हजारीबाग/देवघर/बोकारो सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

८२
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- २५७ रॉची, दिनांक :- २३-३-१३
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-। एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौच प्रति/प्रशास्त्रा-७ को दस अंतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त

८३
(सुरेश प्रसाद भगत) (जयप्रकाश भट्टाचार्य) (सुबोध कुमार सिंह) (बी. सी. निगम) (एस० के० शतपथी)
सहायक अभियंता उप सचिव (अभि.) संयुक्त सचिव (अभि.) विशेष सचिव प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 2. ५६

दिनांक २३.३.१८

का अनुलेखन

परिचय

मौग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-४७०१ मध्यम सिंचाई पर ईंजीगत परिव्यय

उप-मुख्य शीर्ष-८०-साधान्य

लघु शीर्ष-७९६-जल-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना

उप शीर्ष-६८-भवनों का संधारण

वि सूत शीर्ष-०५-निर्माण, ४३ अनुस्कृण, नरसमाति एवं सुसज्जनीकरण
वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट उपवाय १००.०० लाख (एक करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख रु० में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियान	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2012 तक	वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आवंटन	अनुमति		
				प्रांग	चारिं					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	लेन्धाट बैंध प्रमंडल, तेन्धाट	हजारीबाग	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य-	०.००	०.००	०.००	३.०८	३.०८	३.०८	लेन्धाट अतिथि भवन में जलाधिति व्यवस्था का कार्य-
२	सिंचाई योग्यता प्रमंडल, देवधर	यौनिक	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य-	५७८.४९२२२	०.००	०.००	१.११	१.११	१.११	सिंचाई योग्यता प्रमंडल, देवधर के कार्यालय भवन (अधार्य चं०-८/४) का विशेष भवन व्यवस्था का कार्य
३	मुख्य नियंत्रण प्रमंडल, चैंची	चैंची	भवनों का संधारण एवं नये भवनों का निर्माण एवं कार्यालय प्रांगण में उच्च प्रवाही नलवृप्ति निर्माण एवं जलाधिति व्यवस्था का कार्य	३५ / १२-१३ प्र०स्वी० दिनांक- २७.०२. २०१३	०.००	०.००	४.००	४.००	४.००	स्थानीय आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, चैंची के
				कुल योग	०.००	०.००	८.१९	८.१९	८.१९	आवंटित राशि - ₹ आठ लाख उनीस हजार मात्र।


(सुरेश प्रसाद भगवत)


(जयप्रकाश भद्राचार्य)
उप सचिव (अधि.)


(सुखोदय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अधि.)


(वी. सी. निराम)
विशेष सचिव


(एम० के० शातपथी)
प्रधान सचिव